संख्या- 15/2016/843/26-2-2016

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 12 अप्रैल, 2016

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-80 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजनान्तर्गत किये गये प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-169-71/स0क0/अनुदान-वृद्धाश्रम/बजट स्वीकृति/2015-16, दिनांक 28.03.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/ दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है, के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान सं0-80 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 60.00 करोड़ के सापेक्ष वित्त विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञाप में निहित निर्देशों के अधीन प्रथम किश्त के रूप में रू0 30.00 करोड़ (रू0 तीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय नियमों एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गई व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. प्रश्नगत योजनान्तर्गत यदि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है, तो उसके समायोजन के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. प्रश्नगत योजनान्तर्गत स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए निदेशक स्वयं उत्तरदायी होगें।

5. बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बी0एम0-13 पर नियमित रूप से व्यय विवरण प्रशासकीय विभाग के साथ-साथ वित्त विभाग (सम्बन्धित वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3) को भी प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाय। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र यथासमय उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

2- उपर्युक्त योजना/मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-आयोजनागत-02-समाज कल्याण-104-वृद्ध अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण-02-वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1- 746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0 संख्या- 15/2016/ 843(1)/26-2-2016 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ ।
4. वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नीरजा कुरील
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in